संख्या-43/2023/1772/004-22-4-2022-48-48-2019

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2022-23 में प्रदेश की कारागारों के चिकित्सालयों में रोगी बन्दियों के वस्त्र चादर, कम्बल आदि वस्त्रों की धुलाई हेतु द्वितीय चरण में 10 कारागारों में हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीनों की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23424/आधु-1/61/है0वाशिंग मशीन/22-23 दिनांक-19 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में प्रदेश की 10 कारागार चिकित्सालयों (केन्द्रीय कारागार बरेली-द्वितीय, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, सीतापुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी) में प्रत्येक कारागार हेतु 01-01 अदद अर्थात कुल 10 अदद हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीनों (60 किलो0) की स्थापना कराये जाने हेतु **धनराशि रू0 1,50,14,670/- (रुपया एक करोड़ पचास लाख चौदह हजार छः सौ सत्तर मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक-23/08/20217 के अनुसार गर्वन्मेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृति धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक-31/03/2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,14,670 (रुपये एक करोड़ पचास लाख चौदह हजार छह सौ सत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-871-X-2022-23, दिनांक: 29.3.2023, मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2023/1772(1)/004-22-4-2022-48-48-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविलआडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।
(7) वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।